भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1161
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

1161. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने सामाजिक संपरीक्षा के माध्यम से इस योजना का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इस योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत कितने बच्चों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार का प्रसवपूर्व नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से आनुवांशिक विकार/अन्य रोगों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियां- 4 डी अर्थात जन्म के समय दोष, विकास में विलंब, रोग और खामियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरबीएसके के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2023-24 (सितम्बर, 2023 तक) की अवधि के दौरान चयनित स्वास्थ्य दशाओं वाले 168.07

करोड़ बच्चों की जांच की गई है, 11.13 करोड़ बच्चों की पहचान की गई है और 5.36 करोड़ बच्चों को मध्यम/विशिष्ट परिचर्या प्रदान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चयनित स्वास्थ्य दशाओं के व्यापक प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण सहित जिला प्रारंभिक कार्यकलाप केंद्र (डीईआईसी) पर अवसंरचना, अनिवार्य उपस्करों और अपेक्षित मानव संसाधनों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरबीएसके के लिए बजट आबंटन और इसके उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

आरबीएसके कार्यक्रम का मूल्यांकन एनएचएम के तहत तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा, क्षेत्र दौरों और राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठक, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) की प्रक्रिया के दौरान समीक्षाओं और सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) के माध्यम से किया जाता है ।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में आनुवंशिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए यूनिक मेथड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर (यूएमएमआईडी) की पहल की है। यूएमएमआईडी पहल के घटकों में से एक घटक नैदानिक परिचर्या प्रदान करने के लिए निदान केंद्रों (राष्ट्रीय आनुवांशिक विकार प्रशासन केंद्र) की स्थापना कर रहा है जिसमें मोटे तौर पर आनुवंशिक विकारों के लिए प्रसवपूर्व परीक्षण, अपेक्षाकृत सामान्य उपचार योग्य आनुवंशिक चयापचय विकारों के लिए नवजात स्क्रीनिंग और आनुवंशिक विकारों के उच्च जोखिम भ्रूण गर्भवती माताओं को आनुवंशिकता संबंधी परामर्श शामिल हैं।

इस पहल के तहत, देश के आठ राज्यों में फैले सरकारी अस्पतालों में 11 निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यूएमएमआईडी पहल की कुल स्वीकृत लागत 35 करोड़ रुपये है।

*****

अनुलग्नक-1

वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की संचयी उपलब्धि (दूसरी तिमाही)

(राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित– संख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांचे गए बच्चे	चिह्नित बच्चे	4डी के लिए मध्यम/विशिष्ट परिचर्या का लाभ उठाने वाले बच्चे
अंडमान और निकोबार	1.81	0.76	0.10
आंध्र प्रदेश	275.33	12.15	8.71
अरुणाचल प्रदेश	23.18	3.63	1.00
असम	533.80	18.11	13.93
बिहार	1784.76	30.40	14.74
चंडीगढ़	19.04	4.56	1.87
छत्तीसगढ़	337.63	4.79	0.82
दादरा और नागर हवेली	9.74	0.90	0.19
दमन	2.67	0.39	0.02
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
गोवा	191.61	12.49	5.56
गुजरात	1468.99	193.53	103.74
हरियाणा	366.90	80.89	42.18
हिमाचल प्रदेश	60.35	5.86	0.12
जम्मू और कश्मीर	165.78	17.70	6.75
झारखंड	228.91	10.79	4.68
कर्नाटक	1051.99	90.20	43.13
केरल	566.83	37.89	15.74
लद्दाख	2.38	0.39	0.02
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	921.90	75.99	53.12
महाराष्ट्र	1906.08	78.44	36.57
मणिपुर	14.50	1.48	0.42
मेघालय	64.42	4.86	1.60
मिजोरम	23.99	2.17	0.76
नागालैंड	13.00	1.18	0.23
ओडिशा	724.40	58.36	34.17
पुडुचेरी	16.52	0.81	0.42
पंजाब	357.32	25.92	7.07
राजस्थान	563.48	24.93	13.75
सिक्किम	7.39	0.95	0.26
तमिलनाडु	1295.88	51.87	25.57
तेलंगाना	146.55	7.31	4.15
त्रिपुरा	37.63	7.92	1.51
उत्तर प्रदेश	2080.29	81.33	37.86
उत्तराखंड	217.32	12.96	1.11
पश्चिम बंगाल	1324.24	150.79	53.75
कुल	**16806.63**	**1112.69**	**535.62**

*वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड महामारी के दौरान मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से सामुदायिक स्तर की जांच बाधित हुई, क्योंकि आंगनवाड़ी और स्कूल बंद थे और एमएचटी कोविड ड्यूटी में सेवा दे रहे थे।

* दिल्ली आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं कर रहा है

* सितंबर, 2023 तक राज्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार।

अनुलग्नक-2

एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमोदन राशि और व्यय का ब्यौरा

(लाख रु में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		*एसपीआईपी अनुमोदन राशि	व्यय	*एसपीआईपी अनुमोदन राशि	व्यय	*एसपीआईपी अनुमोदन राशि	व्यय	*एसपीआईपी अनुमोदन राशि	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	137.48	112.76	140.47	97.40	40.98	11.83	38.51	9.82
2	आंध्र प्रदेश	10,559.52	2,566.69	2699.79	2588.46	2,666.97	991.00	742.93	744.04
3	अरुणाचल प्रदेश	962.06	497.63	875.73	781.69	362.40	345.61	382.95	39.70
4	असम	6,230.70	5,393.93	6937.97	6625.21	1,988.05	1,762.73	1,908.56	925.27
5	बिहार	12,761.99	11,360.38	3464.51	5364.53	4,588.31	2,831.79	4,637.23	1,376.13
6	चंडीगढ़	154.30	75.76	177.21	164.26	80.50	14.01	52.50	35.83
7	छत्तीसगढ़	6,218.30	4,541.79	6416.74	5139.74	2,571.56	1,976.74	2,602.08	624.86
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	66.43	154.11	261.00	166.61	51.35	33.96	50.60	25.06
9	दिल्ली	134.28	-	389.56	0.00	1,127.67	674.48	963.40	207.82
10	गोवा	23,828.96	12,836.69	367.68	253.36	119.64	49.37	101.65	62.21
11	गुजरात	4,128.05	2,641.10	16491.77	14768.49	7,497.93	5,614.82	7,000.65	3,856.88
12	हरियाणा	6,661.84	5,960.88	3858.99	2740.98	1,849.16	1,415.77	1,633.22	1,193.30
13	हिमाचल प्रदेश	2,314.30	1,626.75	2176.26	2098.90	977.93	793.89	1,030.53	627.57
14	जम्मू और कश्मीर	5,118.46	4,237.79	5176.20	4966.26	1,533.54	902.79	1,807.94	569.03
15	झारखंड	5,319.06	1,892.21	5515.02	1668.88	1,630.42	649.52	1,544.21	462.39
16	कर्नाटक	7,238.59	7,837.88	7047.66	6349.53	2,805.64	1,773.11	2,026.96	639.87
17	केरल	19,443.60	14,163.90	5738.44	6119.49	4,524.74	4,351.30	4,367.06	1,017.42
18	लद्दाख	485.56	318.77	444.77	397.78	157.60	106.73	153.40	66.68
19	लक्षद्वीप	3.20	0.19	10.54	0.00	6.41	-	3.50	-
20	मध्य प्रदेश	17,796.99	6,901.13	15461.51	13346.65	6,082.33	5,562.25	6,268.15	3,079.09
21	महाराष्ट्र	4,209.74	3,859.77	22714.47	18719.86	10,336.18	6,668.33	6,612.24	3,666.27
22	मणिपुर	1,242.09	447.89	2575.41	320.39	2,581.43	1,742.88	1,100.70	73.40
23	मेघालय	1,547.29	1,261.83	1641.05	930.61	827.54	819.88	770.34	268.24
24	मिजोरम	606.37	530.43	662.39	615.51	234.63	123.67	216.34	103.80
25	नागालैंड	324.11	176.26	358.57	174.80	183.81	28.54	172.60	48.51
26	ओडिशा	12,035.06	9,351.63	11997.79	10627.72	4,003.81	5,149.23	3,458.60	2,070.59
27	पुडुचेरी	101.31	45.00	105.87	51.81	58.45	9.42	52.78	9.50
28	पंजाब	8,763.55	8,396.31	4231.52	4322.30	1,912.08	1,370.60	1,552.08	982.04
29	राजस्थान	10,850.44	5,176.99	12875.76	5206.94	4,140.24	1,949.51	4,140.24	1,003.17
30	सिक्किम	208.49	53.09	228.57	59.72	83.64	67.93	63.85	21.45
31	तमिलनाडु	5,538.14	8,175.54	10248.43	7080.80	5,368.93	3,401.87	5,215.92	2,933.17
32	तेलंगाना	473.74	235.11	6417.94	5723.84	2,210.62	719.54	1,813.52	577.55
33	त्रिपुरा	744.69	562.61	1007.92	613.34	531.05	283.33	434.16	89.87
34	उत्तर प्रदेश	33,454.64	26,787.70	35703.40	23127.42	8,696.49	7,253.34	10,914.11	3,947.57
35	उत्तराखंड	3,290.57	2,649.49	3534.96	3280.54	1,792.79	1,073.90	1,611.49	742.94
36	पश्चिम बंगाल	12,481.76	9,685.38	14419.37	9773.06	4,833.84	3,244.90	4,707.27	1,304.21

नोट:

*राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं (एसपीआईपी)

1. उपर्युक्त आंकडे़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं।

2. व्यय में केन्द्रीय जारी राशि, राज्य द्वारा जारी राशि और वर्ष के आरंभ में खर्च न की गई शेष राशि शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है। आरसीएच आदि के लिए फ्लेक्सिबल पूल के संबंध में व्यय दिनांक 31.12.2023 तक अद्यतन है और अनंतिम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (30.11.2023 तक अद्यतन), चंडीगढ़, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा (31.10.2023 तक अद्यतन), लक्षद्वीप (30.09.2023 तक अद्यतन) को छोड़कर ।